कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।

संख्या–एम0ई0–3/पीजी–2016/1086 लखनऊः दिनांक 06/ मई 2016

यू0पी0पी0जी0एम0ई0ई0–2016 की द्वितीय काउंसिलिंग की समय सारणी

काउंसिलिंग केन्द्र– किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ आमंत्रित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन/पंजीकरण हेतु तथा काउंसिलिंग के लिए निर्धारित तिथि पर अपनी स्टेट रैंक के अनुसार प्रातः 10:00 बजे काउंसिलिंग केन्द्र पर उपस्थित होना अनिवार्य है।				
क0सं0	आमंत्रित अभ्यर्थी (स्टेट रैंक)	प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं पंजीकरण तिथि (समय प्रातः 10.00 बजे से सायं 5:00 बजे तक)	काउंसिलिंग तिथि	पाठ्यक्रम
1	1–एम0डी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु* ओवर आल स्टेट रैंक–01 से 100 के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थी। 2–एम0डी0/एम0एस0/पी0जी0 डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु • PH Candidates all eligible (UR/OBC/SC) • ST all eligible SC all eligible 3–ओवर आल स्टेट रैंक–01 से 150 तक (समस्त श्रेणी के अभ्यर्थी)	16.5.2016 (दिन सोमवार)	17.5.2016 (दिन मंगलवार)	MDS MD/MS/PG Diploma MD/MS/PG Diploma
2	ओवर आल स्टेट रैंक–151–600 तक	17.5.2016 (दिन मंगलवार)	18.5.2016 (दिन बुधवार)	MD/MS/PG Diploma
3	ओवर आल स्टेट रैंक–601 से सभी अर्ह	18.5.2016 (दिन बुधवार)	19.5.2016 (दिन गुरूवार)	MD/MS/PG Diploma

- **UR**- सामान्य (अनारक्षित), **OBC**- अन्य पिछड़ा वर्ग, **SC**- अनुसूचित जाति, **ST**-अनुसूचित जनजाति, **PH**-विकलांग

*** काउंसिलिंग की समय सारिणी जारी होने की तिथि तक एम0डी0एस0 पाठ्यक्रम की 01 सीट, जो अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी का अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण प्रथम चक की काउंसिलिंग में आवंटित नहीं हो सकी थी, को नियमानुसार अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी में सम्मिलित करते हुए आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। काउंसिलिंग तिथि तक यदि एम0डी0एस0 पाठ्यक्रम की कोई सीट आवंटन हेतु उपलब्ध होती है, तो उस पर भी आवंटन की कार्यवाही निर्धारित तिथि को ही सम्पन्न की जाएगी।**

रिट सी. संख्या–1380 ऑफ 2015 डा0 सूर्यकान्त ओझा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07.4.2016 द्वारा पी0एम0एच0एस0 संवर्ग हेतु आरक्षित 30 प्रतिशत सीटों संबंधी शासनादेश संख्या–564–एक/चिकित्सा–3–14–जी–06/2013 दिनांक 28.2.2014 को Quash कर दिया गया है। अतः पी0एम0एच0एस0 संवर्ग की सीटों के सम्बन्ध में काउंसिलिंग के समय जो भी उच्च स्तरीय निर्णय प्राप्त होंगे, के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

PCPNDT Act के अन्तर्गत छः मासिक अल्ट्रासोनोग्राफी प्रशिक्षण हेतु आवंटन की कार्यवाही इस काउंसिलिंग में सम्पन्न नहीं की जाएगी।

- **यू0पी0पी0जी0एम0ई0ई0–2016 की परीक्षा में सफल ऐसे विकलांग उपश्रेणी के अभ्यर्थी जो किन्ही परिस्थितियों में पूर्व में गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित नही हो सके थे, वे दिनांक 12.5.2016 (दिन गुरूवार) को समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों/किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित हो कर विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।**

अभ्यर्थियों हेतु सामान्य निर्देश

1— काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित छात्र अपनी स्टेट रैंक के अनुसार निर्धारित तिथि को अभिलेखों का सत्यापन कराकर पंजीकरण की कार्यवाही सम्पन्न करेंगे, तत्पश्चात अगली तिथि को बायोमेट्रिक जॉच के पश्चात आवंटन की कार्यवाही सम्पन्न की जाएगी।

2— काउंसिलिंग में भाग लेने हेतु काउसिलिंग शुल्क के रूप में रूपये 800/—(रूपये आठ सौ मात्र) तथा धरोहर धनराशि रूपया—5,000/—(रूपये पांच हजार मात्र) है, काउंसिलिंग शुल्क रूपये 800/— Non Refundable है। **यू0पी0पी0जी0एम0ई0ई0 2016 की प्रथम चक्र की काउंसिलिंग में जिन अभ्यर्थियों द्वारा सिक्योरिटी धनराशि रू0 5000/— तथा काउंसिलिंग शुल्क रू0 800/— जमा किया गया है, द्वारा निम्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प के अनुसार शुल्क जमा करना होगा :—**

(अ) जिन अभ्यर्थियों ने प्रथम काउंसिलिंग से आवंटन के पश्चात संबंधित कालेजों में प्रवेश प्राप्त कर लिया है, उन्हे काउंसिलिंग शुल्क मात्र रू0 800/— जमा करना होगा।

(ब) प्रथम चक्र की काउंसिलिंग हेतु भारतीय स्टेट बैंक में शुल्क जमा कर चुके (पंजीकृत) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हे कोई आवंटन प्राप्त नहीं हो सका है, उन्हे काउंसिलिंग शुल्क मात्र रू0 800/— जमा करना होगा।

(स) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होने प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन के पश्चात संबंधित कालेजों में प्रवेश प्राप्त नहीं किया है/त्यागपत्र दे दिया है, उन्हे सिक्योरिटी धनराशि रू0 5000/— तथा काउंसिलिंग शुल्क रू0 800/— जमा करना होगा।

(द) द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अन्य आमंत्रित अभ्यर्थियों (Fresh candidates) को सिक्योरिटी धनराशि रू0 5000/— तथा काउंसिलिंग शुल्क रू0 800/— **जमा करना होगा।**

1. काउंसिलिंग शुल्क तथा धरोहर धनराशि किसी भी दशा में नगद जमा करने की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी।
2. अभ्यर्थी अपनी अर्हता का आंकलन यू0पी0पी0जी0एम0ई0ई0—2016 की विवरण पुस्तिका में निर्धारित व्यवस्थानुसार स्वयं करते हुए शुल्क जमा करना सुनिश्चित करें।
3. काउंसिलिंग फीस एवं धरोहर धनराशि भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम निम्नांकित प्रकियानुसार **दिनांक 12 मई 2016 से** जमा किया जाना होगा:—

- शुल्क जमा करने की वेबसाईट **www.updgme.in** **अथवा** **http://www.onlinesbi.com/ prelogin/ icollecthome.html** है।

  (क) **आनलाईन पेमेन्ट**— डेबिट/क्रेडिट कार्ड/नेटबैंकिंग का प्रयोग करें (किसी भी बैंक का)
- ऑनलाईन भुगतान करने हेतु स्टेप्स निम्नवत हैं:—

www.updgme.in के माध्यम से शुल्क जमा करने की प्रकिया	**http://www.onlinesbi.com/prelogin/ icollecthome.html** के माध्यम से शुल्क जमा करने की प्रकिया
वेबसाईट www.updgme.in/UPPGMEECOUNSELLING पर लॉगइन करें।	वेबसाईट http://www.onlinesbi.com/prelogin/ icollecthome.htm पर लॉग इन करें।
Select Payment Category: UPPGMEE COUNSELLING FEE	Select State: as Uttar Pradesh
Enter Roll Number	Select : Educational Institution
	Select : Director General Medical Education and training
	selection process/fee category name
	Enter Roll Number
स्कीन पर छात्र के Basic Details प्रदर्शित होंगे, जिन्हे आप verify करेंगे। Refund हेतु छात्र अपनी Bank Details भरेंगे।	

भुगतान हेतु विकल्प स्कीन पर प्रदर्शित होंगे, जिसमे SBI इण्टरनेट बैंकिंग, एस0बी0आई0 डेबिट कार्ड, अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड तथा भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में नकद धनराशि जमा करने के विकल्प उपलब्ध होंगे।

यदि ऑनलाईन माध्यम से भुगतान की प्रकिया का चयन किया गया है तो उपरोक्त में से चयनित विकल्प के अनुसार स्कीन पर बैंक, डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड से संबंधित आई0डी0 और पासवर्ड की सूचना भरे जाने पर ही भुगतान सुनिश्चित होगा।

ऑफलाईन प्रकिया:

यदि Cash (नकद) भुगतान की प्रकिया का चयन किया गया है तो छात्र ई–चालान के प्रिण्ट आऊट के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में धनराशि जमा कर सकता है।

आफलाईन प्रकिया से भुगतान करने की दशा में उपरोक्त दर्शायी गयी प्रक्रिया के अनुसार अभ्यर्थी ई–चालान के प्रिण्ट आऊट के साथ भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में काउंसिलिंग शुल्क रू0 800/– तथा सिक्योरिटी धनराशि रू0 5000/– जमा कर सकता है। अभ्यर्थी द्वारा उक्त धनराशि बैंक में जमा होने संबंधी चालान की मूल प्रति काउंसिलिंग स्थल पर प्रस्तुत करना होगा अथवा छात्र को अपना Transaction Number, जो दस अंको (उदाहरणार्थ DUxxxxxxxx) का होगा, काउंसिलिंग हेतु पंजीकरण के समय बताना होगा, कृपया सभी अभ्यर्थी अपना Transaction Number नोट करना सुनिश्चित करें। ऑनलाईन शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थी प्रिण्ट स्कीन का प्रिण्टआउट काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत कर सकते हैं।

5. यू0पी0पी0जी0एम0ई0ई0 2016 की प्रथम काउंसिलिंग के माध्यम से अध्ययनरत छात्र को सम्बन्धित कालेज के प्रधानाचार्य/डीन/निदेशक द्वारा निर्गत अनापत्ति (N.O.C) मूलरूप में काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करनी होगी।

6- अभ्यर्थियों की धरोहर धनराशि, सत्र की समस्त प्रवेश प्रकिया पूर्ण होने के पश्चात् उनके बैंक खाते में आन लाइन प्रक्रिया के तहत वापस की जायेगी। जो अभ्यर्थी आवंटन प्राप्त करने के पश्चात् प्रवेश नहीं लेंगें अथवा प्रवेशोपरान्त त्यागपत्र (यू0पी0पी0जी0एम0ई0ई0 की काउंसिलिंग में पुनरांवटन के फलस्वरूप दिए जाने वाले त्यागपत्र को छोड़तें हुए) दे देंगे, उनकी धरोहर धनराशि जब्त हो जायेगी।

7. काउंसिलिंग हेतु अलग से कोई सूचना (काल लेटर) प्रेषित नही की जायेगी। प्रकाशित सूचना तथा चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,उ0प्र0 की वेबसाईट www.updgme.in पर उपलब्ध सूचना के आधार पर काउंसिलिंग हेतु उपस्थित होना होगा।

8. श्रेणी विशेष की निर्धारित सीटें समाप्त होने पर उस श्रेणी की काउंसिलिंग समाप्त हो जायेगी।

9. प्रवेश समिति (काउंसिलिंग बोर्ड) का निर्णय प्रत्येक प्रकरण में अन्तिम व मान्य होगा।

10. पूर्व की पी0जी0एम0ई0ई0 के माध्यम से अध्ययनरत अभ्यर्थी रेजीडेन्सी योजना के प्राविधानों के अनुरूप ही अर्ह होगे।

11. काउंसिलिंग के समय विवरण पुस्तिका के पृष्ठ 13 एवं 14 पर वर्णित, सभी मूल प्रमाण पत्र सहित तथा उनकी एक–एक सत्यापित प्रतिलिपि एवं यू0पी0पी0जी0एम0ई0ई0–2016 के आवेदन पत्र पर चस्पा की गयी फोटो की 04 प्रतियॉ तथा यू0पी0पी0जी0एम0ई0ई0–2016 का प्रवेश पत्र मूलरूप में साथ लाना आवश्यक है।

12. अभ्यर्थियों को निर्धारित काउंसिलिंग केन्द्र किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

13. उक्त सूचना चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय की बेवसाइट www.updgme.in तथा के0जी0एम0यू0 लखनऊ की बेवसाइट www.kgmu.org; www. kgmu.edu.in पर प्रदर्शित रहेगी।

महानिदेशक

संख्या–एम0ई0–3/2016/ 1087–1100 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ

4. मा0 कुलपति जी किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
5. अधिष्ठाता, चिकित्सा संकाय/दन्त संकाय, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ/प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, झांसी, गोरखपुर/ निदेशक, उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा/ निदेशक, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय, मथुरा रोड, आगरा/ निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ/निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर, लखनऊ/निदेशक, क्षेत्रीय नेत्र संस्थान, सीतापुर नेत्र चिकित्सालय, सीतापुर को इस निर्देश के साथ कि वह प्रवेश समिति के सदस्य के रूप में **दिनांक 16 मई 2016 से 19 मई 2016 तक प्रातः 10:00 बजे** किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ/काउंसिलिंग स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
6. चीफ कोआर्डिनेटर, यू0पी0पी0जी0एम0ई0ई0–2016, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें तथा काउंसिलिंग संबंधी व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
7. निदेशक, दूरदर्शन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार सूचना प्रातः एवं सायंकालीन प्रसारण में लगातार दो दिनों तक प्रसारित करने का कष्ट करें।
8. निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार सूचना प्रातः एवं सायंकालीन प्रसारण में लगातार दो दिनों तक प्रसारित करने का कष्ट करें।
9. मे0 एम0एम0 एडवरटाइजिंग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचना दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण लखनऊ, कानपुर, झांसी एवं गोरखपुर, अमर उजाला में अलीगढ़, आगरा, मेरठ, बरेली एवं मुरादाबाद के संस्करणों में टाइम्स आफ इण्डिया (अंग्रेजी) के लखनऊ संस्करण तथा दैनिक हिन्दुस्तान (हिन्दी) में इलाहाबाद एवं वाराणसी के संस्करणों में **दिनांक–07.5.2016** को सूक्ष्म अक्षरों, न्यूनतम स्थान एवं शासकीय दरों पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें। प्रकाशनोपरान्त प्रकाशित प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
10. सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि यू0पी0पी0जी0एम0ई0ई0– 2016 की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों की सिक्योरिटी धनराशि रू0 5,000/– (रूपये पॉच हजार मात्र) एवं काउंसिलिंग शुल्क रू0 800/–(रूपये ऑठ सौ मात्र) **दिनांक 12 मई 2016 से 19 मई 2016 तक** जमा करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
11. सम्बद्व अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना विभाग की बेवसाइट पर प्रदर्शित कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
12. आहरण–विवरण अधिकारी/कैशियर, चिकित्सा शिक्षा।
13. नाजिर, चिकित्सा शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि प्रथम काउंसिलिंग की भांति ही द्वितीय चक की काउंसिलिंग हेतु सम्पूर्ण आवश्यक व्यवस्थाएं करना सुनिश्चित करें।
14. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा के शिविर सहायक को सूचनार्थ।

(वी0एन0 त्रिपाठी)
महानिदेशक।